भा.क.नि.
CCI
भारतीय कपास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
''पारसकर टॉवर्स'' पहला माला, विद्या नगर,
अकोला – 444001
दूरभाष नं.: 0724.2401183 फैक्स : 0724.2401184
email : akola@cotcorp.com ; website : www.cotcorp.org.in
CIN: U 51490 MH 1970 GOI 014733

The Cotton Corporation of India Ltd.
(A Government of India Undertaking)
"Paraskar Towers" 1st Floor, Vidya Nagar,
Akola - 444 001,
Tel.No. : 0724-2401183; Fax : 0724-2401184
email : akola@cotcorp.com ; website : www.cotcorp.org.in
CIN: U 51490 MH 1970 GOI 014733

सूचना का अधिकार

संख्या: भाकनि/अकोला/परिवहण/2019-20 **दिनांक 25.10.2019**

कपास परिवहन निविदा सूचना (Tender Notice For Transport)

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, अकोला फसल वर्ष 2019-20 के लिए शाखा के अधिनस्थ मुर्तिजापुर, भद्रावती, कलमेश्वर, मंगरूलपिर एवं दारव्हा से अन्य केन्द्रों तक कपास के परिवहन हेतु दो बोली प्रणाली (Technical Bid 1 एवं Financial Bid 2) में मुहरबंद निविदाए आमंत्रित करता है। निर्धारित निविदा फार्म, नियम एवं शर्ते के साथ शाखा कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में कायालयीन समय में 112/-रु. (जीएसटी सहित) भुगतान कर दिनांक 30.10.2019 को शाम 05.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता हैं। निविदा संबंधी सूचना, निविदा फार्म,नियम व शर्तो की पूर्ण जानकारी हमारी वेबसाईट http://www.cotcorp.org.in एवं Government portal www.eprocure.gov.in पर उपलब्ध है। अगर वेबसाईट से निविदा फार्म लिया जाता हैं तो पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा फार्म के साथ 112/-रु. का बैंक ड्राफ्ट भारतीय कपास निगम लिमिटेड, अकोला के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा। एमएसएमई के तहत आनेवाला परिवहन कर्ता और एमएसएमई के साथ पंजीकृत प्राधिकारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करने पर निविदा शुल्क से मुक्त हैं।

निविदाकर्ता को निम्नानुसार निविदा प्रस्तुत करना चाहिये:-

1. लिफाफा 'अ' : लिफाफे के ऊपर "Technical Bid" लिखा जाना चाहिये,जिसमें Technical Bid" रखी जानी चाहिये। अनुलग्नक-I
2. लिफाफा 'ब' : लिफाफे के ऊपर "Financial Bid" लिखा जाना चाहिये जिसमें Financial Bid" रखी जानी चाहिये। अनुलग्नक-II
3. लिफाफा 'स' :उपरोक्त दोनों लिफाफे 'अ' और 'ब' इस लिफाफे 'स' में रखे जाना चाहीये ।

पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म सीलबंद लिफाफे में जिसके ऊपर **कपास परिवहन निविदा 2019-20** व **केंद्र का नाम** स्पष्ट रूप से अंकित कर महाप्रबंधक के नाम उपरोक्त दर्शाये गये पत्ते पर दिनांक 31.10.2019 को दोपहर 02.00 बजे तक पहुंचना आवश्यक हैं। उपरोक्त निर्धारित समय पर प्राप्त निविदाए दिनांक 31.10.2019 को दोपहर 02.30 बजे उपस्थित निविदिकर्ताओ की उपस्थिती में सर्वप्रथम "Technical Bid"खोली जायेगी। जिन निविदाकर्ताओं की "Technical Bid"योग्य पाई जायेगी, उन्ही निविदाकर्ताओं की "Financial Bid"दिनांक 31.10.2019 को दोपहर 03:00 को खोली जायेगी।

निविदाकार्ता को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का डीडी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम से ईएमडी के रूप में **50000/- (केवल पचास हजार रुपये)** जमा करना होगा। MSME के अन्तर्गत पंजीकृत परिवहनकर्ता की तकनीकी बोली के साथ वैध MSME प्रमाण पत्र देकर निविदा राशि और ईएमडी निशुल्क होगी। ईएमडी काम के सन्तोष जनक पुर्ण होने बाद वापस किया जायेगा जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा ।

निगम कोई भी कारण बताये बिना किसी भी निविदा को स्वीकार/ अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। निविदा अस्वीकार होने की दशा में निविदादाता अस्वीकार किये जाने कारण की जानकारी शाखा कार्यालय से प्राप्त कर सकता है ।

महाप्रबंधक

भा.क.नि.
CCI

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
''पारसकर टॉवर्स'' पहला माला, विद्या नगर,
अकोला – 444001
दूरभाष नं.: 0724.2401183 फैक्स : 0724.2401184
email : akola@cotcorp.com ; website : www.cotcorp.org.in
CIN: U 51490 MH 1970 GOI 014733

The Cotton Corporation of India Ltd.
(A Government of India Undertaking)
"Paraskar Towers" 1st Floor, Vidya Nagar,
Akola - 444 001,
Tel.No. : 0724-2401183; Fax : 0724-2401184
email : akola@cotcorp.com ; website : www.cotcorp.org.in
CIN: U 51490 MH 1970 GOI 014733

सूचना का अधिकार

BID-I (TECHNICAL)

Tender form fees: Rs.112.
(Rupees One hundred twelve only inclusive of GST)

Tender No._____

Last date of submission : 31 .10.2019 upto 2.00 **pm**

Date of opening of Tender : 31.10.2019 upto 2.30 **pm**

Tender form for Transportation of Kapas for the cotton season 2019-20.

1. **Name and full postal address of the Transporter with Telephone Number/**

& Email Address :----------

2. PAN No. (copy should be enclosed) :----------

(Name mentioned in the PAN No. should

Co-relate with either Transport Co /proprietor /

partner of firm)

3. GST No. (copy should be enclosed) :----------

4. a) Name of the proprietor :----------

In case of firm,

b) Name of Partner &No.of Partners :----------

c) Registration No. & Date :

(Copy of registration with correlated Authority/

Registrar of companies)

5. Office Address :----------

6. Name and address of the local person responsible

to contact with telephone no. :----------

7. Whether the contractor is registered as MSME : Yes/ No

(if Yes, Pls. attach concerned valid certificate)

8. If MSME under SC/ ST category : Yes/ No

(if Yes, Pls. attach concerned valid certificate)

9. If MSME is under women entrepreneur category **: Yes/ No**

(if Yes, Pls. attach concerned valid certificate)

10. Whether the contractor is under

startup category. : Yes/ No

(if Yes, Pls. attach concerned valid certificate)

11. <u>Details of EMD:</u>

1)EMD of Rs 50000/- for each centre: DD/PO. No_____ Date_____

(Cheques not accepted) Amount_____ Bank_____

(DD/PO of Nationalized Bank/ Scheduled Bank)

12. Cost of Tender :-

DD/Po. No_____ Date_____ Amount _____ Bank__

13. Whether the Transportation work of the Corporation:

was done in last three years

If yes, furnish details : 2016-17 2017-18 2018-19

_____ _____ _____

14. Details of Bank Account :

Name of account holder : _____ Account No. _____

Name of the Bank _____. Branch Name _____ IFSC Code_____

Note: For each Centre separate tender has to be submitted

Note: In case any particulars are not furnished in the form the application is liable to be rejected. Further the corporation will be at liberty to cancel the tenders submitted at its discretion for any reason and can call for fresh Tenders. And The party will have no right of any nature to dispute or raise any objection to the said acts.

Name & Signature of Tenderer with seal

Place:

Date:

भा.क.नि.
CCI
भारतीय कपास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
''पारसकर टॉवर्स'' पहला माला, विद्या नगर,
अकोला – 444001
दूरभाष नं.: 0724.2401183 फैक्स : 0724.2401184
email : akola@cotcorp.com ; website : www.cotcorp.org.in
CIN: U 51490 MH 1970 GOI 014733

The Cotton Corporation of India Ltd.
(A Government of India Undertaking)
"Paraskar Towers" 1st Floor, Vidya Nagar,
Akola - 444 001,
Tel.No. : 0724-2401183; Fax : 0724-2401184
email : akola@cotcorp.com ; website : www.cotcorp.org.in
CIN: U 51490 MH 1970 GOI 014733

सूचना का अधिकार

कपास परिवहन करने एवं निविदा भरने के लिये शर्तें

1. परिवहनकर्ता द्वारा कपास सड़क परिवहन द्वारा ही भेजी जायेगी। यह किसी भी कारणवश सड़क के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजी जा सकती।इसके लिये परिवहनकर्ता को अपनी न्यूनतम दर प्रति किवंटल देनी पड़ेगी। परिवहनकर्ता द्वारा दी गई प्रति क्विंटल दर में उचित खर्चे (इन्सीडेंटिल खर्चे) भी शामिल होंगे। तथा लोडिंग/अनलोडिंग की खर्च भी शामिल होगा । परिवहनकर्ता द्वारा निविदा में एक बार भरी गई दर फाईनल मानी जायेगी और निगम इस निविदा की अवधि के दौरान किसी भी ट्रक यूनियन द्वारा रेट बढ़ाये जाने पर,भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा डीजल,पेट्रोल,टायर व अन्य कलपुर्जों के रेट बढ़ाने या कोई टैक्स बढ़ाये जाने पर निगम जिम्मेदार नहीं होगा। उस हालत में भी परिवहनकर्ता उन्हीं दरों पर काम करने के लिये बाध्य होगा। अत: निविदा में एक बार भरी गई दर समस्त अवधि के दौरान किसी भी कारणवश तब्दील नहीं की जा सकती।

2. तकनीकी बिड-I में सफल हुए परिवहनकर्ताओं की ही वित्तीय बिड- II खोली जायेगी ।

3. कपास द्वार प्राप्ति (Door Delivery) के आधार पर बुक की जायेगी।दिये गये केन्द्रों से कपास उठाकर गंतव्य स्थान का पता जो भी हो, पहुँचानी होगी । यदि गंतव्य स्थान पर पहुँच कर कपास की डिलीवरी देने का स्थान बदल दिया जाता है तो ऐसी हालत में 10 KM तक के पथान्तर (Diversion) के लिये ट्रांसपोर्टर को कोई पथान्तर शुक्ल (Diversion Charges)नहीं दिया जायेगा ।

4. कपास गंतव्य स्थान पर ट्रकों/वाहनो के पहुँचने की प्राथमिकता के आधार पर उतरवाई जायेगी । जो ट्रक/वाहन पहले पहुँचेगा उसको पहले उतारा जायेगा।ऐसी हालत में अगर ट्रक/वाहन लाईन लम्बी हो जाती है तो ट्रांसपोर्टर को कोई रिटेंशन चार्ज नही दिया जायेगा।

5. निविदा में L-1 की गणना दरों के आधार पर प्रत्येक स्थान के लिए अलग से की जाएगी.

6. धरोहर राशि जो की रु.50000/- केवल है जो कि प्रत्येक स्थान के लिए अलग अलग होगी.

7. कपास परिवहन आदेश जारी होने के पश्चात ट्रांसपोर्टर को तुरन्त कपास भिजवाने की व्यवस्था करनी होगी तथा कपास के डिस्पैच के तुरन्त पश्चात ट्रांसपोर्टर को G.R.No.व कपास का विवरण तुरन्त अगले दिन शाखा कार्यालय, अकोला को सूचित करना होगा ।

8. कपास के लदान व परिवहन के दौरान ट्रांसपोर्टर कपास की पूरी निगरानी रखेगा व संभालेगा । परिवहन के दौरान कपास तिरपालों से ढँकी होनी चाहिये। किसी कारणवश परिवहन के दौरान कपास को होने वाली हानि के लिये ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा। लोडिंग के समय लिए गए कपास के वजन को ही गंतव्य स्थान पर सुपुर्द करना होगा| वजन मे किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर उसकी क्षति पूर्ति परिवहन

कर्ता को करनी होगी| इसके लिए निगम द्वारा परिवहन कर्ता के बिल से/अन्य देय बकाया राशि से भी कटौती की जाएगी|

9. ट्रकों/वाहनो की हालत अच्छी होनी चाहिये। अगर ट्रकों/वाहनो में पहले लादा कोयला या अन्य रसायन पदार्थ लगा हो तो ट्रकों/वाहनो की पूरी तरह सफाई करवाकर ही कपास लोड की जाये। ओवेर्लोडिंग की लिए परिवहन कर्ता स्वय जिम्मेदार होगा एवं इसके लिए निगम की किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं होगी|

10. प्रत्येक ट्रांसपोर्टर को प्रति सप्ताह एक तालिका (Statement) भेजनी अनिवार्य होगी जिसमें कपास की मात्रा, लॉरी रसीद नंबर और डिस्पैच की तिथि, स्टेशन, जिसको भेजी गई उसका नाम अंकित होना चाहिये ।
11. निविदा में दी गई दरें 31.05.2020 तक के लिये मान्य होगी ।

12. सीलबन्द निविदा एक बन्द लिफाफे में भेजनी होगी। लिफाफों पर स्पष्ट तौर पर परिवहनकर्ता का नाम व यह लिखा होना अनिवार्य है कि **"कपास परिवहन हेतु निविदा"**।फैक्स या ई.मेल से प्रेषित टेण्डर स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

13. टेण्डर शाखा कार्यालय, अकोला में दिनांक 31.10.2019 को दोपहर 02:30 बजे तक पहुँचाने अनिवार्य होंगे। इस समय उपरान्त प्राप्त किये गये टेण्डर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।टेण्डर उसी दिन सभी परिवहनकर्ताओं के सामने सायं 03:00 बजे खोले जायेंगे ।

14. यदि दो या दो से अधिक ट्रांसपोर्टर एक ही प्रकार की न्यूनतम दरें भरते हैं तो यह टेण्डर कमेटी के पूर्ण अधिकार में होगा कि किस ट्रांसपोर्टर को कार्य दे अथवा रिटेण्डर या सम्बन्धित ट्रांसपोर्टर में प्रतिस्पर्धा करायें ।

15. कोई भी टेण्डर या सभी टेण्डर या उसके कोई भाग को रद्द करने का अधिकार निगम सुरक्षित रखता है । हालांकि सम्बन्धित पार्टी टेण्डर रद्दीकरण का कारण निगम से प्राप्त कर सकती है ।

16. टेण्डर फार्म में दर्शाई गई सभी शर्तो के फलस्वरूप यदि कोई (Dispute) शक या शंका उत्पन्न होती है तो यह निगम की अकोला शाखा के समक्ष अधिकार क्षेत्र में होगा कि उसका क्या निर्णय लिया जाये । ऐसी हालत में उस सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम व बाध्य होगा । किसी प्रकार के कानूनी झगड़े के लिये अधिकार क्षेत्र का न्यायालय अकोला होगा ।

17. टेण्डर भरने वाले ट्रांसपोर्टर द्वारा निविदा में दी गई शर्ते ध्यान में रख लेनी चाहिये । एक बार टेण्डर भरने के बाद यह माना जायेगा कि टांसपोर्टर ने इस फार्म में दी गई शर्ते ध्यान से पढ़ ली व इन शर्तो को मानते है व इन शर्तो के अन्तर्गत कार्य के लिए तैयार व बाध्य हैं ।

18. कपास लक्षित स्थान पर अच्छी हालत में और उसी G.R. के आधार पर सुपुर्द की जानी चाहिये । यातायात के दौरान किसी भी कपास में मिलावट नहीं होनी चाहिये। कपास सामान्य तौर पर लदान होने के पश्चात सीधे ही गंतव्य स्थान पर पहुँचनी अनिवार्य होगी। कपास को एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु के आधार पर बीच में किसी ट्रांसशिपमेंट के बगैर प्रेषण करना होगा। यदि किसी कारणवश सम्भव न हो तो एक से

ज्यादा ट्रांसशिपमेन्ट की अनुमति नही होगी। कपास लोडिंग के पश्चात उसी दिन गंतव्य स्थान पर पहुँचनी चाहिए|कपास निर्धारित अवधि के अंदर गंतव्य स्थान पर नही पहुँचती है तो 5/- रूपये प्रति क्विंटल प्रति घंटे के हिसाब से देरी की पेनल्टी परिवहनकर्ता के बिल से/अन्य देयकों से कटौती की जायेगी ।

19. कपास परिवहन का (कपास का बिमा) ट्रांजिट इन्सोरेन्स निगम द्वारा कव्हर किया जायेगा ।

20. कपास **टू बी बिल्ड** के आधार पर भेजी जा सकती है । टू बी बिल्ड जाने वाली कपास बील का भुगतान बिल प्रेषण के 15 दिन के अन्दर-अन्दर किया जायेगा ।

21. टेण्डर केवल निगम की शर्तो पर ही मान्य होंगे । इसके लिये ट्रांसपोर्टर की कोई शर्त मान्य नही होगी ।

22. यदि कपास परिवहन के दौरान रास्ते में कोई दुर्घटना/अग्नि दुर्घटना एवं अन्य घटना हो जाती है तो Preliminary Survey कराये बिना वहॉ से ट्रक/वाहन तथा साल्वेज को तब तक न हटाया जाए जब तक सर्वेयर द्वारा सर्वे का काम पूरा नही कर लिया जाता है। ट्रांसपोर्टर का यह भी दायित्व होगा कि आवश्यकता पड़ने पर वे प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) Fire Brigade Report/Non Delivery Certificate पंचनामा आदि की प्रति प्रस्तुत करेंगे। ट्रांसपोर्टर द्वारा FIR में अग्नि दुर्घटना में शामिल कपास की विवरणी तथा संख्या की रिपोर्ट निश्चित रूप से दर्ज करानी होगी। क्षति संबंधी आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं कार्यवाही ट्रांसपोर्टर द्वारा तुरन्त करनी होगी तथा उसकी सूचना शाखा कार्यालय, अकोला को भी तुरन्त देनी होगी अन्यथा सारी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की होगी ।

23. ट्रासंपोर्टर द्वारा पूरे कपास की मूल बिल्टी/जी.आर प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा । (जी.आर.की फोटोप्रति मान्य नहीं होगी)

24. परिवहनकर्ता को कपास परिवहन हेतु केन्द्र प्रभारी द्वारा जारी निर्देश अनुसार प्रतिदिन केन्द्र/गोदाम से उठाई जाने वाले कपास का विवरण शाखा कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा । बिलों से टी.डी.एस सरचार्ज तत्कालीन नियमानुसार काटा जायेगा ।

25. परिवहनकर्ता अपना PAN तथा GST नंबर अवश्य प्रस्तुत करे ।

26. परिवहनकर्ता अपने कार्यालय के साथ-साथ आवास का पता एवं टेलीफोन/टैलेक्स/फैक्स नंबर/ई-मेल आयडी/ भी अपनी निविदा में दे।

27. परिवहनकर्ता द्वारा यदि निर्धारित अवधि में कपास नहीं उठाई जाती है तो दोषी होने पर वह कार्य किसी अन्य परिवहनकर्ता से प्रचलित मार्केट दर के अनुसार करवाया जायेगा व उससे निगम को होने वाली क्षतिपूर्ति की वसूली संबंधित मूल परिवहनकर्ता के बिल से/अन्य देय बकाया राशि से कटौती कर की जाएगी |

28. निविदा भरने वाले परिवहनकर्ता द्वारा स्वयंमेव यह माना जायेगा कि उसने निविदा सम्बन्धी सभी शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली है व उनका पालन करने के लिये बाध्य है। परिवहनकर्ता निविदा सम्बन्धी शर्तो पर अपने हस्ताक्षर मय स्टॉम्प के निविदा फार्म के साथ लगाए ।

29. किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने पर निगम द्वारा नियुक्त आर्बीट्रेटर (जो कि निगम का कर्मचारी नहीं होगा) को विवाद के निर्णय हेतु मामला सुपुर्द किया जायेगा और उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा एवं आर्बीट्रेटर, आर्बीट्रेशन व रिकंसीलेशन एक्ट 1996 के प्रोवीजन के अन्तर्गत शासित होगा ।

30. केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा समस्त प्रकार के लागू या लागू होने वाले टैक्स की संपूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी । जिसका भुगतान निगम द्वारा किया जायेगा |

31. कार्य की आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम दर वाले परिवहनकर्ता की दरों पर कार्य अन्य परिवहनकर्ताओं को देने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा ।

32. कर में छूट (Tax Exemption) का सर्टिफिकेट परिवहनकर्ता को इस निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा तथा उसकी वैधता भी स्पष्ट अंकित होना चाहिये ।

33. शाखा कार्यालय दवारा बिल का भुगतान प्राप्ति दिनांक के 15 दिन के अन्दर किया जायेगा। बिलों का भुगतान टी.डी.एस एवं अन्य कर के तत्कालीन नियमानुसार काटकर किया जायेगा। प्रत्येक बिल के भुगतान में से 10 प्रतिशत राशि काटी जायेगी तथा धरोहर राशि संपूर्ण कार्य संतोषप्रद निष्पादन होने के बाद बिना किसी व्याज के वापिस की जायेगी ।

34. यदि परिवहनकर्ता आलाट किये गये टेंडर की फाइनल दरों पर कार्य करने पर असमर्थता दर्शाता है व आनाकानी करता है तो अर्नेस्टमनी (EMD)/धरोधर राशि जब्त कर उस परिवहनकर्ता को निगम के परिवहनकर्ता ठेका लेने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है एवं निगम अन्य न्यूनतम दर भरने वाले टेंडर कर्ता को कपास परिवहन कार्य आलाट कर सकता है।

35. कपास के परिवहन हेतु GST E-Way Bill बनाने की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी। यदि GST E-Way Bill बनाने में लापरवाही के कारण निगम को GST act & provisions के अंतर्गत किसी भी प्रकार की हानि/ देनदारी उत्पन्न होती है तो उसकी वसूली परिवहनकर्ता से की जाएगी।

36. निगम को पूरा अधिकार होगा कि वह कार्यानुसार अपने विवेकाधिकार से एक या अधिक परिवहनकर्ता को अनुबंधित करे । कपास उठाते समय परिवहनकर्ता को अपनी कंपनी के लैटरहैड पर कपास सही स्थिति में ली गई है, ऐसा प्रमाण-पत्र लिखकर देना होगा ।

37. जिन परिवहनकर्ताओं की दर निगम द्वारा स्वीकृत होती है उन्हें 100/- रूपये के स्टॉम्प पेपर पर परिवहन अनुबंध करना होगा और अपने अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम सूचित करना होगा । परिवाहक को कार्य का आबंटन उनके द्वारा परिवहन अनुबंध होने के बाद ही किया जायेगा । जीएसटी ई-वे बिल निगम के स्टॉक के परिवहन के लिये जीएसटी अधिनियम के प्रावधान के तहत परिवहनकर्ता द्वारा किया जायेगा। यदि ई-वे बिल जनरेट करने में किसी प्रकार की त्रुटि होती हैं अथवा ई-वे बिल जनरेट नहीं किया जाता हैं तो देयता की वसूली निगम द्वारा परिवहनकर्ता से की जायेगी।

38. किन्हीं विशेष परिस्थितियों में परिवहन कार्य अधिक होने की दशा में एक से अधिक परिवहनकर्ता को अनुपातिक कार्य भी दिया जा सकता है। जिस परिवाहक की संबंधित गंतव्य स्थान हेतु न्यूनतम दर प्राप्त होती है,को L-1 माना जायेगा तथा उसे परिवहन कार्य का 60% कार्य आबंटित किया जायेगा तथा शेष 40% कार्य L-2 को दिया जायेगा बशर्ते वह L-1 द्वारा दी गई दरों पर कार्य करने हेतु तैयार हो।यदि

L-2 परिवाहक L-1 द्वारा दी गई दरों पर कार्य करने को इच्छुक नहीं है तो समस्त कार्य L-1 को ही आबंटित किया जायेगा।

39. परिवहनकर्ता को केन्द्र कार्यालय से निर्देश जारी होने के तत्काल पश्चात ट्रक/वाहन की व्यवस्था कर कपास को उठाना होगा।

40. निगम न्यूनतम कार्य देने के लिए बाध्य नहीं है|परिवहनकर्ता को निगम का उपलब्ध कार्य सुचारु रूप से करना होगा |

41. जिन परिवहनकर्ताओ की निविदाये निगम द्वारा स्वीकृत की जायेगी उनको निगम के साथ 100/- रूपये के स्टैम्प पेपर पर परिवहन अनुबंध करना होगा तथा Authorized Signatory का नाम भी सूचित करना होगा।परिवहन कार्य, परिवहनकर्ताओ द्वारा कथित अनुबंध प्रस्तुत करने के पश्चात ही आबंटित किया जायेगा।

मैंने निगम के सभी नियम एवं शर्ते ध्यान से पढ़ ली है तथा हम इन नियमों एवं शर्तो के अन्तर्गत कार्य करने के लिये तैयार एवं बाध्य हैं ।

परिवहनकर्ता प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिनांक ----------

मय रबर स्टॉम्प के साथ

भा.क.नि.
CCI

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
''पारसकर टॉवर्स'' पहला माला, विद्या नगर,
अकोला – 444001
दूरभाष नं.: 0724.2401183 फैक्स : 0724.2401184
email : akola@cotcorp.com ; website : www.cotcorp.org.in
CIN: U 51490 MH 1970 GOI 014733

The Cotton Corporation of India Ltd.
(A Government of India Undertaking)
"Paraskar Towers" 1st Floor, Vidya Nagar,
Akola - 444 001,
Tel.No. : 0724-2401183; Fax : 0724-2401184
email : akola@cotcorp.com ; website : www.cotcorp.org.in
CIN: U 51490 MH 1970 GOI 014733

सूचना का अधिकार

वित्तीय बिड - II (Financial Bid - II)

कपास **परिवहन के लिये निविदा** अवधि कार्य आदेश से 31.05.2020 तक

परिवहनकर्ता का नाम एवं पता ----------

टेलीफोन नंबर ----------

क्रम संख्या	**केन्द**	**क्रम**	**स्टेशन जहाँ कपास जाना है**	**लोडींग अनलोंडीग सहीत (दर प्रति क्विंटल)**
1	मुर्तिजापुर	1	बार्शी टाकली	
		2	चिखलगांव	
2	भद्रावती	1	खैरी	
		2	कोरपना	
3	कलमेश्वर	1	नरखेड	
4	मंगरुलपिर	1	अनसिंग	
		2	बार्शी टाकली	
5	दारव्हा	1	घाटंजी	
		2	रालेगांव	

- मैंने निगम की संलग्न नियम एवं शर्ते पढ़ ली है और मुझे मान्य है। परिवहन कार्य में लोडिंग तथा अनलोडिंग सहीत।
- सभी दर Excluding GST होगी

परिवहनकर्ता प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

मय रबर स्टॉम्प के साथ

ON PARTY LETTER HEAD

Declaration under Section 194C(6) for Non-deduction of Tax at Source

To,

M/s. The Cotton Corporation of India Ltd.

B.O. _____

Declaration

I , Mr. _____ (Proprietor/ Partner/Director) of M/s. _____ _____, _____ (Address) (hereinafter the contractor) do hereby make the following declaration as required by sub section (6) of Section 194C of the Income Tax Act, 1961 for receiving payments from the payer without deduction of tax at source.

1. That I /We am/are authorized to make this declaration in the capacity as Proprietor /Partner/Director.

2. That the contractor is engaged by the payer for playing, hiring or leasing of goods carriage for its business.
3. That the contractor does not own more than ten goods carriage as on date.

4. That if the number of goods carriages owned by the contractor exceeds ten at any time during the period 2019-20 (01.09.2019 to 31.05 .2020), the contractor shall forthwith, in writing intimate the payer of this fact.

5. That the Income Tax Permanent Account Number (PAN) of the contractor is _____. A photocopy of the same is furnished to the payer along with this declaration.
6. The contractor hereby gives an undertaking to submit duly prescribed form of declaration as notified by the Income tax department.

Place :

Dated : Declarant

VERIFICATION

I the above named declarant do hereby verify that the contents of paragraphs one to six above are true to my own knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed in it.

Place :

Dated : Name of the Declarant and Signature

(To be given on the printed letter head of the transporter)

To,

The Branch Manager,

The Cotton Corporation of India Ltd,

_____

_____

Subject: Authority letter for negotiation/finalization of Transportation rates up to 31.05.2020

Sir,

We hereby authorize Shri _____ (Name) _____ (Designation) of behalf of M/s _____ for negotiation and finalization of transportation rates.

Further, We submit that we are a sole proprietor/partnership/limited company and we have full authority to authorize Shri _____ as our representative whose specimen signature is given herein below:-

_____

(Specimen signature)

We agree to all terms and conditions of the Tender.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Signature of the Authorised Signatory)

Name & Designation: _____

Name of the Firm : _____

Seal of the Firm : _____